

संदर्भ संख्या: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/129/10/2026

Ref No: IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/129/10/2026

07.10.2026

प्रति / To,
सभी विनियमित संस्थाएँ
All Regulated Entities

विषय: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) का अनुपालन - अक्टूबर 2026
Subject: Observance of National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) –
October 2026

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्व को प्रकाशित करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) के रूप में मनाया जाता है।

The month of October is globally observed as National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) with the aim of enhancing cyber security awareness across public and private sectors and highlighting its importance.

इस संबंध में, विनियमित संस्थाओं (आरईएस) को परामर्श दिया जाता है कि अक्टूबर, 2026 माह को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) के रूप में मनाएँ। इस माह के दौरान साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का आयोजन करें, जिनके साथ टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, रेडियो जिंगल, रील्स, मीम्स और एसएमएस जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं।

In this regard, Regulated Entities (REs) are advised to observe the month of October 2026 as National Cyber Security Awareness Month (NCSAM). Activities promoting cyber hygiene may also be organized during the month, supplemented by mass awareness programmes through multiple media such as television, community radio, radio jingles, reels, memes and SMS.

इसके साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) 3 नवंबर, 2026 तक प्राधिकरण को infosec@irdai.gov.in पर प्रस्तुत करें।

Further, an Action Taken Report (ATR) in this regard may be furnished to the Authority at infosec@irdai.gov.in by 3rd November 2026.

हस्ताक्षरित / sd/-
(दीपक गायकवाड / Deepak Gaikwad)
(महाप्रबंधक & सीआईएसओ / General Manager & CISO)